प्र.प. 33/2015 भगवानी तरुणविजय vs नगरपरिषद ह०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	19.02.2025 पत्रावली पेशी में ली गयी। वकुलाए फरीकेन उपस्थित नहीं। बार बार आवाज लगाई गयी, फिर भी दोनों पक्ष उपस्थित नहीं आये। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण दिनांक 14.08.2015 आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ के पत्रांक 4920 दिनांक 02.07.2015 के साथ निदेशक स्थानीय निकाय जयपुर के आदेश दिनांक 25.04.2013 द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही हेतु पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 04.12.2024 को नगरपरिषद हनुमानगढ जरिये आयुक्त जवाब पेश किया गया, परन्तु अप्रार्थी सं0 01 जवाब पेश करने के पश्चात बहस के कई अवसर देने पर भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण को बहस हेतु बार बार अवसर देने एवं आवाज लगवाने पर भी उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक दिनांक 18.10.2007 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ (सत्यमेव जयते) [signature] (काना राम, आई ए एस) जिला कलक्टर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़	